JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

Advt. No. 68/2017-18

Terms and Conditions

1. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग–अलग से देय होगा। पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी का अधिकार विश्वविधालय के पास सुरक्षित रहेगा।

2. ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथी दिनांक 31.12.2017 समय रात्रि 11.59 बजे तक हैं, जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण वांछनीय/आवश्यक दस्तावेजों की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित विश्वविधालय में दिनांक 06.01.2018, अपरान्ह 5.00 बजे तक स्थापना शाखा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में जमा करानी होगी।

3. राजस्थान सरकार के आरक्षण के सभी प्रावधान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रभावी होंगे।

4. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के संबंधित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति विषयक वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। पिछडा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5. राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

6. आवेदक को उसकी श्रेणी अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा : –

1.	सामान्य श्रेणी व अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी	1000/–
2.	राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग नॉन–क्रीमीलेयर	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/दिव्यांग) अभ्यर्थी	100/–

नोट : – राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

7. आवेदन शुल्क वापसी– आवेदन शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही आवेदन शुल्क किसी अन्य आवेदन हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति में ही आवेदन शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

8. चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहॉ तक की नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/ जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविधालय में निहित होगा।

9. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अजा/अजजा/ पिछडा वर्ग) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

10. सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

11. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, नियत तिथी के भीतर अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक हैं। अधूरे भरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।

12. किसी प्रकार के डाक विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविधालय वेबसाइट www.jnvu.edu.in का अवलोकन करें।

कुलसचिव